

उपायुक्त - सह-जिला दण्डाधिकारी, बोकारो का न्यायालय, बोकारो

अनुसूची - 1 - फारम संख्या - 562

आदेश-पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

अंजनी देवी

बगाम

सुशीला देवी एवं अन्य

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: 17/12/2022

आदेश पत्रक ता 0 17/12/2022

STACK: 17/12/2022

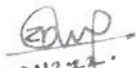
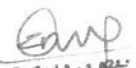
जिला बोकारो

केस का प्रकार: विविध वाद (निबंधन)

संख्या 91/2022-23

सन् 2022

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
17/12/2022	अंजनी देवी पति राज कुमार झा, पता सा0-भगवती कॉलोनी, चास, पो0+थाना-चास जिला बोकारो, आधार नं0-2912 4123 0429 के द्वारा 1.) श्रीमति सुशीला देवी पति स्व0 राम रूप सिंह पता गली सं0-8, वार्ड सं0-14, डेहरी ऑन सोन, डालमियागंज, रोहतास, बिहार वर्तमान पता शिवपुरी कॉलोनी, चास, पो0+थाना-चास जिला बोकारो, आधार सं0-3114 9437 5492 2.) श्री अमय कुमार शर्मा, पता शिवपुरी कॉलोनी, चास, पो0+थाना-चास जिला बोकारो के विरुद्ध निबंधन अधिनियम की धारा-58(c) एवं 69(2) के अन्तर्गत केवाला दस्तावेज सं0-5696, जो दिनांक-07.12.2022 को अवर निबंधन कार्यालय, चारा में निष्पादित है, को निरस्त करने हेतु यह वाद दायर किया गया है। अभिलेख पीठासीन पदाधिकारी के आदेशार्थ उनके समक्ष न्यायालय में रखें। प्रभारी पदाधिकारी	
20/12/2022	आवेदक के विद्वान अभिवक्ता के युक्त तथ्य एवं अभिलेख में संघारित दस्तावेजों का अवलोकन किया। विद्वान अभिवक्ता के द्वारा यह तथ्य कि निपटरी श्रीमति सुशीला देवी पति स्व0 राम रूप सिंह के द्वारा मौजा चारा के खाना सं0-744, प्लॉट सं0-7649, रकबा-05 बी० प्रति आवेदिका श्रीमति अंजनी देवी पति राज कुमार झा के साथ Sale Agreement कले के बाद भी इनके नाम से निबंधन	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	नहीं कर किसी अन्य के नाम से निबंधित कर दिया गया। फलान्वय इस वाद न्यायालय में लाना जाता है। इन्फ्लेक्शन है कि जिस sale agreement- के आधार बनाकर इस वाद को दाखल किया गया है, वह प्रमाण द्वारा संदेहास्पद प्रतीत होता है। जिसका गहराई से जांच पड़ताल इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। उसके लिए ^{माननीय} व्यवहार न्यायालय सक्षम न्यायालय है। ऐसी स्थिति में यह वाद अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में पौषणीत नहीं है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दाखल कर सकते हैं। आवेदक के द्वारा बैकला दस्तावेज निस्त करने संबंधी आवेदन को स्वीकार किया जाता है। लैसापित एवं संशोधित।  20.12.22  20.12.22 उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी बोकारो।	Received original document for list of documents related to the case per letter dated 20/12/22